

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
आधिकासी अभियन्ता
निर्माण कार्य, लो.नि.वि.
बड़कोट, उत्तरकाशी

ह0/-
(प्रभागीय वनाधिकारी)

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।